मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरण , मेड़ता

पीठासीन अधिकारी — आर0पी0 चौधरी,
आर.एच.जे.एस.

मोटरयान दुर्घटना दावा संख्या — 02/2018

1— गीतादेवी पत्नी शोभाराम उम्र 38 वर्ष,

2— रामेश्वरी पुत्री शोभाराम उम्र 18 वर्ष,

3— दानाराम पुत्र शोभाराम उम्र 13 वर्ष

4— चूकादेवी पुत्री शोभाराम उम्र 16 वर्ष

5— घेवरी पत्नी माधुराम उम्र 60 वर्ष

6— माधुराम पुत्र श्री अणदाराम उम्र 62 वर्ष

प्रार्थी संख्या 3 व 4 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता प्रार्थिनी संख्या—1 गीता देवी पत्नी शोभाराम। सभी जातियान—जाट, निवासीगण जसवन्तावाद, तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर ।

—— प्रार्थीगण

बनाम

1— लाखन सिंह पुत्र बच्चु सिंह, उम्र 30 वर्ष, जाति जाट, निवासी पुरावाई खेड़ा, पुलिस थाना रूदावल तहसील बयाना, जिला भरतपुर।

(पंजीकृत स्वामी वाहन स्कार्पियो नंबर आर जे 05—यू ए—7227)

2— यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस क0लि0 शाखा कार्यालय फ्लोर नं01, एक्जिविशन रोड भरतपुर (राज0)

(बीमा कम्पनी वाहन स्कार्पियो नंबर आर जे 05—यू ए—7227)

—— अप्रार्थीगण

क्लेम याचिका अंतर्गत धारा 166 मोटरयान अधिनियम 1988

उपस्थित :—

1— श्री सियाराम चौधरी, अधिवक्ता, वास्ते प्रार्थीगण।
2— श्री बलराम बेड़ा, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या—1 की ओर से।
3— श्री एन0के0 कोठारी, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या संख्या—2 की ओर से।

निर्णय दिनांक : 06—09—2018

1. हस्तगत क्लैम याचिका प्रार्थीगण गीता वगैरा ने मृतक शोभाराम पुत्र माधुराम की रोड दुर्घटना में मृत्यु होना बताते हुए, इस आशय की प्रस्तुत

की है कि, दिनांक 27–10–2017 को मृतक शोभाराम, रामनिवास, मुकेश, विक्रम, समन्दर तथा कृपाल सिंह वाहन स्कार्पियो नंबर आर जे 05 यू ए 7227 में सवार होकर मीटिंग में भाग लेने हेतु भरतपुर जा रहे थे। सुबह करीब 7.30 बजे बसेड़ी से बयाना रोड नहचोली मोड़ के पास अचानक नील गाय आ जाने के कारण गाड़ी असंतुलित होकर पलट गई, जिसमें चालक मुनेश फौजदार व शोभाराम की मौके पर ही मृत्यु हो गई तथा अन्य लोगों को गंभीर चोटें आई। उक्त दुर्घटना की रिपोर्ट पुलिस बसेड़ी जिला भरतपुर में दर्ज करवाई गई। अन्त में प्रार्थीगण ने विभिन्न मदों में कुल क्षतिपूर्ति राशि 1,16,00,000/– दिलाये जाने का निवेदन किया।

2. क्लैम याचिका प्रस्तुत होने पर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से क्लैम याचिका का जवाब प्रस्तुत कर अभिवाक लिया गया कि, प्रश्नगत वाहन चालक की लापरवाही से कोई दुर्घटना कारित नहीं हुई है। प्रार्थीगण ने बढ–चढ कर क्लैम राशि की मांग की है। प्रश्नगत वाहन अप्रार्थी संख्या–2 के यहां बीमित होने का अभिकथन करते हुए अपने विरूद्ध क्लैम याचिका खारिज करने का निवेदन किया।

3. अप्रार्थी संख्या–2 बीमा कम्पनी ने क्लैम याचिका का जवाब प्रस्तुत करते हुए क्लैम याचिका के अधिकांश तथ्यों को अस्वीकार किया एवं अभिकथित किया कि मृतक प्रश्नगत वाहन में यात्री के रूप में यात्रा कर रहा था, जो बीमा शर्तों का उल्लंघन है। प्रश्नगत वाहन चालक की लापरवाही से दुर्घटना कारित नहीं हुई है। प्रश्नगत वाहन चालक के पास वैध एवं प्रभावी वाहन चालन अनुज्ञप्ति नहीं थी। प्रार्थीगण ने बढ–चढ कर क्लैम राशि की मांग की है। अन्त में उन्होंने क्लैम याचिका खारिज करने का निवेदन किया।

4. उभय पक्षों के अभिवचनों व दस्तावेजात के आधार पर इस क्लैम याचिका में निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये गये :–

1– **आया दिनांक 27–10–2017 को, समय सुबह करीब 07.30 बजे, मौजा बसेड़ी से बयाना रोड पर नहचोली मोड़ के पास अप्रार्थी संख्या–1 के स्वामित्व एवं अप्रार्थी संख्या–2 के यहां बीमित वाहन,**

स्कार्पियो नंबर आर जे 05 यू ए 7227 को वाहन चालक मृतक मुनेश फौजदार ने तेज गति व लापरवाही से चला कर पल्टी खिलादी, जिसके परिणामस्वरूप उक्त स्कार्पियो नंबर आर जे 05 यू ए 7227 में सवार मृतक शोभाराम पुत्र माधुराम की मृत्यु हो गई ? –प्रार्थीगण

2– क्या अप्रार्थीगण की ओर से जवाब में अंकित आपत्तियों के आधार पर, वे क्षतिपूर्ति के दायित्व से मुक्त होने योग्य है ?

–अप्रार्थीगण

3– क्या प्रार्थीगण क्लेम याचिका में अंकित क्षतिपूर्ति राशि 1,16,00,000/– रूपये, अप्रार्थीगण से प्राप्त करने के अधिकारी हैं ?

–प्रार्थीगण

4– अनुतोष ?

5. प्रार्थीगण की ओर से अपने मामले के समर्थन में ए डब्ल्यू–1 के रूप में स्वयं प्रार्थीया गीतादेवी तथा ए डब्ल्यू–2 के रूप में रामनिवास को पेश कर परीक्षित करवाया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 लगायत प्रदर्श–16 पेश कर प्रदर्शित करवाये गये।

6. अप्रार्थीगण की ओर से बचाव में कोई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई।

7. बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण का तर्क रहा कि, प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अप्रार्थी संख्या–1 की लापरवाही से दुर्घटना होना प्रमाणित है, जिसके खंडन में अप्रार्थीगण की ओर से कोई साक्ष्य नहीं आई है। प्रार्थीगण की साक्ष्य का कोई खंडन अप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया है। अन्त में उन्होंने क्लैम याचिका स्वीकार कर, चाही गई क्षतिपूर्ति दिलाये जाने का तर्क दिया ।

8. अप्रार्थी बीमा कम्पनी के अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत की एवं तर्क दिया किया , प्रश्नगत वाहन की दुर्घटना में लिप्तता व चालक की लापरवाही प्रमाणित नहीं है । वक्त दुर्घटना वाहन चालक के पास वैध एवं

प्रभावी वाहन चालन अनुज्ञप्ति नहीं थी। मृतक वक्त घटना यात्री के रूप में यात्रा कर रहा था, जिसका प्रीमियम बीमा कम्पनी द्वारा नहीं लिया गया था। मृतक की आय का कोई लेखा—जोखा पेश नहीं किया गया है। अंत में उन्होंने क्लैम याचिका खारिज करने का निवेदन किया तथा अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये :—

1—2016(1) आर ए आर पेज 63 विकास बनाम हंसराज वगैरा

2—2017(1) आर ए आर पेज 108 (राज0) मोतीलाल बनाम लालाराम वगैरा

9. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। विरचित किये गये विवाद्यकों पर अधिकरण का विनिश्चय निम्न प्रकार है :—

विवाद्यक संख्या—1

10. तनकी सं. 1 में प्रार्थीगण को प्रमाणित करना था कि, '' **दिनांक 27—10—2017 को, समय सुबह करीब 07.30 बजे, मौजा बसेड़ी से बयाना रोड पर नहचोली मोड़ के पास अप्रार्थी संख्या—1 के स्वामित्व एवं अप्रार्थी संख्या—2 के यहां बीमित वाहन, स्कार्पियो नंबर आर जे 05 यू ए 7227 को वाहन चालक मृतक मुनेश फौजदार ने तेज गति व लापरवाही से चला कर पल्टी खिलादी, जिसके परिणामस्वरूप उक्त स्कार्पियो नंबर आर जे 05 यू ए 7227 में सवार मृतक शोभाराम पुत्र माधुराम की मृत्यु हो गई ।''** उक्त तनकी के समर्थन में प्रार्थीगण की ओर से स्वयं प्रार्थिया गीतादेवी ए डब्ल्यू—1 के रूप में पेश होकर परीक्षित हुई है। उक्त गवाह ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि, करीब आठ माह पहले की बात है। उसके पति भरतपुर में टोल नाके पर काम करते थे जो कंपनी की गाड़ी से टोल के एक नाके से दूसरे नाके पर मीटिंग में भाग लेने जा रहे थे। गाड़ी चालक मुनेश ने गाड़ी को तेज गति में चलाई जिससे गाड़ी पलटी खा गई । दुर्घटना में आई चोटों के कारण उसके पति की मृत्यु हो गई। दुर्घटना स्कार्पियो चालक मुनेश की गल्ती से हुई थी। गवाह ने इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि, उसके पति वाहन किराये पर लेकर गये हों तथा उसने

गलत क्लैम पेश किया हो।

11. चक्षु साक्षी ए डब्ल्यू–2 रामनिवास का सशपथ कहना है कि, दिनांक 27–10–2017 को सुबह 7.30 बजे की बात है। वह, मुनेश, शेभाराम, विक्रम, समंदर तथा किरपाल सिंह स्कार्पियो गाड़ी नंबर आर जे 05–यू ए–7227 से टोल नाके की मीटिंग में भाग लेने जा रहे थे। गाड़ी मुनेश चला रहा था जो तेज गति व लापरवाही से लहराता हुआ चला रहा था। उक्त गाड़ी बसेड़ी से बयाना रोड पर नहर चोली मोड़ के पास पहूंची तो गाड़ी गति में होने के कारण पलटी खा गई। जिससे गाड़ी चालक मुनेश, शोभाराम व विक्रम खत्म हो गये । दुर्घटना मुनेश की गल्ती से हुई थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि, मृतक से उसकी कोई रिश्तेदारी नहीं थी। इस सुझाव को गवाह ने गलत होना कहा है कि, वह वाहन को किराये पर लेकर गये हों और आज मृतक के वारिसान को क्लैम दिलाने के लिए झूठे बयान दे रहे हों। इस प्रकार दोनों ही साक्षीगण ने अपने कथनों में क्लैम याचिका के तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए क्लैम याचिका की पुष्टि में कथन किये हैं।

12. जहां तक दस्तावेजी साक्ष्य का प्रश्न है, प्रार्थीगण की ओर से दुर्घटना के संबंध में दी गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श–1 के अवलोकन से प्रकट होता है कि, रिपोर्ट में प्रश्नगत वाहन के सामने नीलगाय आ जाने से वाहन असंतुलित होकर दुर्घटनाग्रस्त होने का अंकन है तथा रिपोर्ट में वाहन के नंबरों का भी अंकन है। दिनांक 27–10–17 की दुर्घटना के संबंध में उसी दिन रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस ने बाद अनुसंधान प्रश्नगत वाहन के चालक मुनेश के विरूद्ध धारा 279, 304–ए भा0द0सं0 में आरोप साबित पाया है, किंतु उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाने से फौतगी मुलजिम में एफ0आर0 सक्षम न्यायालय में पेश की गई है। फर्द पंचनामा लाश प्रदर्श–5 में दुर्घटना में गाड़ी पलट जाने से मृतक की मृत्यु होने का अंकन है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श–7 में भी दुर्घटना में मृतक की मृत्यु होने का अंकन है।

13. दौराने अनुसंधान अप्रार्थी संख्या–1 को धारा 133 एम वी एक्ट का नोटिस प्रदर्श–8 दिया गया है, जिसमें उसने वक्त दुर्घटना मुनेश को प्रश्नगत वाहन का चालक होने का अंकन किया है, जिसकी भी दुर्घटना में मृत्यु होने का

अंकन किया गया है। प्रदर्श—9 से प्रश्नगत वाहन की फर्द जब्ती बनाई गई है, जिसमे प्रश्नगत वाहन बूरी तरह से क्षतिग्रस्त होना अंकित किया गया है, जिसकी पुष्टि मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट प्रदर्श—11 से भी होती है।

14. प्रदर्श—15 प्रश्नगत वाहन की आर0सी0 है, जिसके अनुसार अप्रार्थी संख्या—1 प्रश्नगत वाहन का स्वामी होना जाहिर होता है तथा प्रदर्श—14 प्रश्नगत वाहन का बीमा कवर नोट है, जिससे वाहन अप्रार्थी संख्या—2 बीमा कम्पनी के यहां से वक्त दुर्घटना बीमित होना प्रकट होता है।

15. इस प्रकार प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के गहन अवलोकन, विवेचन तथा विश्लेषण के पश्चात् अधिकरण की विनम्र राय में प्रश्नगत वाहन के चालक ने, अप्रार्थी संख्या—1 के नियोजन व निर्देशन में तथा अप्रार्थी संख्या—2 के यहां बीमित प्रश्नगत वाहन को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चला कर पल्टी खिला दी, जिससे उक्त वाहन में सवार मृतक शोभाराम की मृत्यु हो गई। परिणामतः तनकी संख्या—1 प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

<u>तनकी संख्या—2</u>

16. उक्त तनकी में अप्रार्थीगण को अपनी आपत्तियां प्रमाणित करनी थी। अप्रार्थी संख्या—1 ने मुख्य रूप से प्रश्नगत वाहन से दुर्घटना नहीं होने की आपत्ति उठाई है, जिसका निस्तारण तनकी संख्या—1 में किया जा चुका है। अन्य कोई सारवान आपत्ति अप्रार्थी संख्या—1 की ओर से नहीं उठाई गई है।

17. जहां तक अप्रार्थी बीमा कम्पनी की आपत्तियों का प्रश्न है, अप्रार्थी बीमा कम्पनी की मुख्य आपत्ति प्रश्नगत वाहन में मृतक यात्री के रूप में यात्रा करने की रही है। परंतु बीमा कम्पनी ने उक्त आपत्ति के समर्थन में लेशमात्र भी साक्ष्य पेश नहीं की है। गवाह ए डब्ल्यू—2 ने अपने बयान में कथन किया है कि, प्रश्नगत वाहन से वे मीटिंग में भाग लेने जा रहे थे। साक्षी ने जिरह में कथन किया है कि गाड़ी कम्पनी के मालिक की ही थी। प्रश्नगत वाहन के स्वामी अप्रार्थी संख्या—1 ने अपने 133 एम वी एक्ट के जवाब में भी अंकित किया है कि, उसका वाहन कर्मचारियों को बैठा कर भरतपुर लेकर जा रहा था।

इस प्रकार पत्रावली पर आई उक्त साक्ष्य का कोई खंडन अप्रार्थी बीमा कम्पनी की ओर से नहीं किया गया है और प्रश्नगत वाहन स्कार्पियो गाड़ी थी, जो एक महंगा वाहन है और स्वाभाविक रूप से ऐसे वाहन का किराये पर चलना स्वाभाविक प्रतीत नहीं होता है। परिणामतः बीमा कम्पनी की उक्त आपत्ति चलने योग्य प्रतीत नहीं होती है।

18. बीमा कम्पनी की ओर से सम्माननीय न्यायिक दृष्टांत **''2007(1) आर ए आर 108 (राज0) मोतीलाल बनाम लालाराम वगैरा''** पेश कर उसका अवलंबन लिया गया है, जिसमें आहत् को जीप में यात्रा करते समय चोटें आई थी । किंतु हस्तगत प्रकरण में मृतक यात्री के रूप में यात्रा करना प्रमाणित नहीं पाया गया है। अतः उक्त न्यायिक दृष्टांत की तथ्य एवं परिस्थितियां हस्तगत प्रकरण से भिन्नता लिये होने के कारण बीमा कम्पनी लाभान्वित होना प्रतीत नहीं होती है। बीमा कम्पनी की अन्य आपत्ति प्रश्नगत वाहन की लिप्तता के संबंध में रही है, जिसका निस्तारण तनकी संख्या—1 में किया जा चुका है।

19. बीमा कम्पनी की ओर से प्रश्नगत वाहन चालक के डी0एल0 के संबंध में भी आपत्ति रही है, इस संबंध में प्रार्थीगण की ओर से प्रश्नगत वाहन चालक का डी0एल0 प्रदर्श 16 पेश कर प्रदर्शित करवाया गया है। अतः बीमा कम्पनी की उक्त आपत्ति भी चलने योग्य प्रतीत नहीं होती है।

20. इस प्रकार अप्रार्थी बीमा कम्पनी अपने जवाब में ली गई आपत्तियां प्रमाणित करने में असफल रही है। परिणामतः तनकी संख्या—2 अप्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णीत की जाती है।

<u>तनकी संख्या—3</u>

21. उक्त तनकी में प्रार्थीगण को यह प्रमाणित करना था कि **'' वे चाही गई क्षतिपूर्ति राशि अप्रार्थीगण से संयुक्त व पृथक्—पृथक् रूप से प्राप्त करने के अधिकारी हैं ।''** उक्त तनकी के निर्धारण में सबसे पहले मृतक की आय, आयु व गुणांक का विनिश्चय करना महत्वपूर्ण है। जहां तक मृतक की आयु का प्रश्न है, क्लेम याचिका में मृतक की आयु 40 वर्ष अंकित की

गई है। पत्रावली पर मृतक के आधार कार्ड की छाया प्रति उपलब्ध है, हालांकि उसे प्रदर्शित नहीं करवाया गया है, परन्तु उसके अवलोकन से प्रकट होता है कि, मृतक की जन्म तारीख 01—01—1973 है और उसकी मृत्यु दिनांक 27—10—2017 को हुई है। अतः वक्त दुर्घटना मृतक की आयु 44 वर्ष 09 माह 26 दिन उभर कर आती है। जिसकी कोई खंडनात्मक साक्ष्य अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः वक्त दुर्घटना मृतक की आयु 44 वर्ष 09 माह 26 दिन अवधारित की जाती है ।

22. जहां तक मृतक की आयू में गुणांक का प्रश्न है, माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत '' **सरला वर्मा बनाम दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, सिविल अपील संख्या 3483 / 08 निर्णय दिनांक 15.04.2009** '' मे 41 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के लिए 14 का गुणांक निर्धारित किया गया है, अतः हस्तगत प्रकरण में भी मृतक की उम्र करीब 45 वर्ष होने से, उक्त न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में 14 का गुणांक प्रयोग में लिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

23. जहां तक मृतक की मासिक आय का प्रश्न है, क्लेम याचिका में मृतक द्वारा चैतन्य कंस्ट्रक्शन कम्पनी बाड़ी जिला धौलपुर में प्राईवेट नौकरी से 25000/— रूपये आय अर्जित करना बताया गया है। लेकिन मृतक की मासिक आय 25 हजार रूपये हो, इस बाबत् कोई सुदृढ दस्तावेजी साक्ष्य पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाई गई है । अतः आय बाबत् किसी सुदृढ दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में वक्त दुर्घटना मृतक की आय 25 हजार रूपये प्रतिमाह प्रमाणित नहीं होती है, परंतु फिर भी मृतक के कार्य को दृष्टिगत रखते हुए उसे अर्द्धकुशल कर्मकार की श्रेणी में माना जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में हस्तगत प्रकरण की घटना 27—10—2017 की होने के कारण तथा न्यूनतम मजदूरी के संबंध में जारी अधिसूचना दिनांक 01—01—2017 के अनुसार अर्द्धकुशल कामगार की प्रतिमाह आय 5642/— रूपये होने से मृतक की मासिक आय भी 5642/— रूपये होना अवधारित की जाती है।

24. जहां तक मृतक के भविष्य में होने वाली आय की वृद्धि का प्रश्न है, माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **''नेशनल इंश्योरेंस**

क0लि0 बनाम प्रणय सेठी एस एल पी नं0 25590/14 निर्णय दिनांक 31—10—17'' की रोशनी में हस्तगत प्रकरण में मृतक की आयु करीब 45 वर्ष होने तथा मृतक अस्थाई नियोजन में होने के कारण मृतक की मासिक आय में 25 प्रतिशत भविष्य आय वृद्धि के रूप में जोड़ा जाना न्यायोचित है। परिणामतः मृतक की मासिक आय 5642/— रूपये का 25 प्रतिशत 1410.5/— रूपये, जोड़े जाने पर मृतक की मासिक आय 7052.5/— रूपये, राउन्ड फीगर में 7053/— रूपये प्रतिमाह होना उभर कर आती है। मृतक के छः वारिसान होने के कारण, उसके स्वयं के खर्चे पेटे 1/4 राशि कम किया जाना न्यायोचित है। अतः कुल मासिक आय 7053/—रूपये का 1/4 हिस्सा 1763.25/— रूपये कम करने पर, मृतक की मासिक आय **5289.75/— रूपये राउन्ड फीगर में 5290/— रूपये** शेष रह जाती है, जिससे प्रार्थीगण वंचित हुए हैं ।

25. परिणामतः मृतक की मृत्यु के परिणामस्वरूप प्रार्थीगण को आय क्षति के रूप में **5290X 12 X 14 = 8,88,720/— रूपये, अखरे रूपये आठ लाख अठियासी हजार सात सो बीस मात्र** दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

26. जहां तक मृतक की मृत्यु के परिणामस्वरूप संपदा क्षति, मृतक की पत्नी को अपने पति से प्राप्त होने वाले सहवास, प्यार की वंचना तथा मृतक के दाह संस्कार के मद का प्रश्न है, उक्त न्यायिक दृष्टांत **'' नेशनल इंश्योरेंस क0लि0 बनाम प्रणय सेठी एस एल पी नं0 25590/14 निर्णय दिनांक 31—10—17''** की रोशनी में उक्त मदों में प्रार्थीगण क्रमशः **15000 + 40000 + 15000 बराबर 70000/— रूपये** प्राप्त करने के अधिकारी हैं ।

27. इस प्रकार तनकी संख्या 3 में प्रार्थीगण, उक्त दुर्घटना के परिणामस्परूप बतौर क्षतिपूर्ति निम्न प्रकार राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं :—

क0सं0	**मद**	**राशि**	**कुल**
1	आय की क्षति	**5290X 12 X 14**	**8,88,720/—**
2	सम्पदा क्षति के मद में	15000/—	15000/—

3	मृतक के अन्तिम संस्कार के मद में	15,000/—	15000/—
4	प्रार्थीया सं0 1 अपने पति के प्रेम, सहवास एवं स्नेह से वंचित रही, इस मद में	40000/—	40000/— **कुल राशि 9,58,720/—**

28. शेष प्रतिकर राशि साक्ष्य के अभाव में प्रमाणित नहीं होने से अस्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होती है । अतः तनकी संख्या—3 में प्रार्थीगण बतौर क्षति पूर्ति कुल क्लेम राशि **9,58,720/— अखरे रूपये नो लाख अठावन हजार सात सौ बीस मात्र** अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से संयुक्तः एवं पृथक्—पृथक रूप से प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

<u>तनकी संख्या—4 अनुतोष</u> :—

29. परिणामतः तनकी संख्या 1 लगायत 3 उक्तानुसार निर्णीत किये जाने पर प्रार्थीगण, अप्रार्थी संख्या— 1 व 2 से संयुक्त व पृथक् पृथक् रूप से बतौर क्लेम राशि **9,58,720/— अखरे रूपये नो लाख अठावन हजार सात सौ बीस मात्र** प्राप्त करने के अधिकारी हैं ।

<u>पंचाट</u>

30. परिणामस्वरूप प्रार्थीगण के पक्ष में एवं अप्रार्थी संख्या— 1 व 2 के विरूद्ध संयुक्त रूप से व पृथक्—पृथक् रूप से कुल क्षतिपूर्ति राशि **9,58,720/— अखरे रूपये नो लाख अठावन हजार सात सौ बीस मात्र** का अवार्ड पारित किया जाता है । उक्त राशि पर प्रार्थीगण क्लेम याचिका प्रस्तुत करने की दिनांक 06—01—2018 से 8 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी प्राप्त करने के अधिकारी होंगे । पूर्व में प्रार्थीगण द्वारा यदि कोई अंतरिम प्रतिकर राशि प्राप्त की गई है तो वह इसमें से समायोजित होगी। उक्त प्रतिकर राशि का चैक अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट एम.ए.सी.टी. मेड़ता के नाम से देय होगा तथा चैक अथवा डी0डी0 जमा होने पर प्रतिकर राशि का वितरण निम्न प्रकार किया जावेगा :—

क्रम सं0	नाम प्रार्थीगण	आयु वर्ष में	मृतक से संबंध	बचत खाता में देय नकद राशि	मियादी जमा खाता में देय राशि	मियादी जमा खाता में जमा राशि की अवधि
1	गीतादेवी	38 वर्ष	पत्नी	शेष राशि मय ब्याज	300000/–	10 वर्ष
2	रामेश्वरी	18 वर्ष	पुत्री	––	100000/–	05 वर्ष
3	दानाराम	13 वर्ष	पुत्र	––	100000/–	10 वर्ष
4	चूकादेवी	16 वर्ष	पुत्री	––	100000/–	05 वर्ष
5	घेवरी	60 वर्ष	माता	25000/–	50000/–	05 वर्ष
6	माधुराम	62 वर्ष	पिता	25000/–	50000/–	05 वर्ष

31. प्रार्थी सं0 1, 5 एवं 6 अपनी–अपनी उक्त सावधी जमा राशियों पर त्रैमासिक ब्याज, जरिये बचत खाता प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।

(आर0पी0चौधरी)
न्यायाधीश,
मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण,
मेड़ता जिला नागौर

अधिनिर्णय आज दिनांक 06–09–2018 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आर0पी0चौधरी)
न्यायाधीश,
मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण,
मेड़ता जिला नागौर